न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता : ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या :— 03/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अनिल कुमार सोनी, लिपिक ग्रेड द्वितीय जिला कलेक्टर,कार्यालय, जोधपुर।		जिला कलक्टर जोधपुर।

अपील अंतर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर क्रमांकः प.1 (सी–18)280/15 स्था/2.17/226 दिनांक 1.8.2017 द्वारा वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत/

उपस्थिति :

1.अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2.विभागीय पैरोकार अनुस्थित।

निर्णय

दिनांकः 3.102018

अपील प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट श्री अनिल कुमार सोनी, लिपि ग्रेड द्वितीय, कार्यालय तहसीलदार, जोधपुर हाल कार्यालय हाजा द्वारा तहसील कार्यालय के स्टोर एवं लेखा लेखा शाखा का कार्यभार हस्तान्तरण नही करने के कारण इनके विरूद्ध सी. सी.ए. नियम 1958 क नियम 17 के तहत आरोप व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः–

आरोप का विवरण–

यह है कि आप श्री अनिल कुमार सोनी, कनिष्ट लिपिक को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक नप.1 (सी–2)स्था/2013/212 दिनांक 18.7.2013 के द्वारा स्थानान्तरित कर कार्यालय हाजा से तहसीलदार जोधपुर मे श्री रमेश ओझा, कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित किया गया। तहसील कार्यालय जोधपुर मे पदस्थापित श्री रमेश कुमार ओझा, जिनके पास रोकडपाल एवं स्टोर का चार्ज था। जिसे आपने अभी तक चार्ज प्राप्त नही किया। इस कार्यालय एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा निर्देश दिये गये। परन्तु आपने उक्त आदेश की पालना नही की और सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त नही किया।

आरोपी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया तथा अपने जवाब मे चार्ज प्राप्त करने मे हुई देरी के कारणों से अवगत करा दिया था। इसके बावजूद जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट के जवाब पर मनन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2017 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट के सहयोगी की बहस सुनी । कथन किया है कि अपीलान्ट तहसीलदार कार्यालय जोधपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 16.03.2015 को उसे रूल्स 17 के अन्तर्गत एक आरोप पत्र दिया गया था। उस आरोप पत्र मे अपीलान्ट खिलाफ यह आरोप था कि अपीलान्ट ने श्री रमेश कुमार ओझा कनिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय जोधपुर से स्टोर का चार्ज नही लिया। आरोप पत्र मे यह भी कथन किया गया कि कोषाधिकारी ग्रामीण ने पत्र दिनांक 16.07.2014 के द्वारा श्री औझा को स्टोर का चार्ज हस्तान्तरण के निर्देश प्रदान किया गया। परन्तु उन्होने स्टोर व राकेड पाल का चार्ज नही लिया।

अपीलान्ट ने उक्त आरोप पत्र का जवाब विस्तृत रूप से दिनांक 07.04.2015 व 05.05.2015 को दिया था। इसके बावजूद दिनांक 01.08.2017 के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने उसे एक वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलान्ट को दण्ड इस आरोप पर दिया है कि अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय की स्टोर शाखा का चार्ज श्री शंकरलाल वरिष्ठ लिपिक को हस्तान्तरण नही किया है। जबकि अपीलान्ट को दिये गये आरोप पत्र में कहीं भी श्री शंकरलाल वरिष्ठ लिपिक को चार्ज सुपुर्द करने/हस्तान्तरण नही करने का आरोप अंकित नही किया गया है। अपीलान्ट पर जो आरोप था वह स्टोर शाखा, रोकड पाल शाखा का चार्ज कनिष्ठ लिपिक श्री रमेश ओझा से नही लेने का था। आरोप पत्र में चार्ज शंकरलाल वरिष्ठ लिपिक को देने/हस्तान्तरण करने का कोई आरोप नही था। जिस आरोप पर उसे दण्ड/सजा दी गई है वह आरोप दिनांक 2016–17 का है जबकि अपीलान्ट को 2015 मे जो आरोप पत्र दिया गया है वह अलग आरोप था। अतः अपीलान्ट को जिस आरोप पर सजा दी गई वह आरोप पत्र कभी दिया ही नही गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलधीन आदेश दिनांक 01.08.2017 बिल्कुल ही गलत एंव बेबुनियाद पारित किया गया है। इसके अलावा उसे जो सजा दी गई है वह भी सी सी ए रूल्स 17 के अन्तर्गत नही आती है। क्योंकि को जो सजा दी गई है वह एक वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोकने की है जबकि रूल्स सीसीए 17 के अन्तर्गत संचयी प्रभाव से वेतन वृद्वि रोकने की सजा नही दी जा सकती। यह वृहद शास्ति की परिभाषा मे अती है।

अतः मे निवेदन है किया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

हमने अपीलान्ट के सहयोगी की बहस पर मनन किया तथा अध तथा अपीलान्ट/प्रार्थी स्वीकार फरमायी जावे। ानिस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि अपीलान्ट पर जो आरोप था कि उसने स्टोर शाखा, रोकड पाल शाखा का चार्ज कनिष्ठ लिपिक श्री रमेश ओझा से प्राप्त नही किया। जबकि अपीलान्ट को जो दण्ड दिया है वह इस आरोप पर दिया है कि आपीलान्ट ने तहसील कार्यालय की स्टोर शाखा का चार्ज श्री शंकरलाल वरिष्ठ लिपिक को हस्तान्तरण नही किया है। अपीलान्ट पर वर्तमान प्रकरण मे चार्ज शंकरलाल वरिष्ठ लिपिक को देने/हस्तान्तरण करने का कोई आरोप ही नही था।

इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 3.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर